महत्वपूर्ण!

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।

दू0सं0– 0135–2746934, 2741461, फैक्स– 2741630, 2741462 ईमल– pccfuk@gmail.com

पत्र संख्या– P0/395 देहरादून, दिनांक, 27 अक्टूबर, 2020।

आदेश

विषय :– विभागीय बैठकों/कार्यशालाओं/अन्य विभिन्न सरकारी समारोहों आदि में खान–पान की व्यवस्था के अन्तर्गत मांस न परोसे जाने के सम्बन्ध में।

विभाग के अन्तर्गत समय–समय पर विभिन्न **महत्वपूर्ण आयोजन** जैसे – **बैठकें, कार्यशालायें, प्रशिक्षण कार्यक्रम, महत्वपूर्ण व्यक्तियों** के भ्रमण आदि होते रहते हैं जिनमें अकसर विभागीय रूप से खान–पान की व्यवस्था भी की जानी होती है।

वन विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके दायित्वों में **वन्यजीव संरक्षण** एक प्रमुख दायित्व है। इसके अन्तर्गत हमारा दायित्व हालांकि वन्यजीवों के संरक्षण तक सीमित होता है, परन्तु पालतू पशु–पक्षियों के प्रति भी संवेदना रखना आवश्यक है! उल्लेखनीय है कि प्रभागीय वनाधिकारियों को **पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960** के अन्तर्गत भी कतिपय अधिकार दिये गये हैं ताकि पशुओं के प्रति क्रूरता को रोका जा सके।

शाकाहार या **मांसाहार** एक व्यक्तिगत पसंद का विषय है, परन्तु उपरोक्त संदर्भ में **सरकारी व्यय** से की जाने वाली खान–पान की व्यवस्था में कुछ भिन्नता रखा जाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि पिछले पौने–तीन वर्षों में, विभाग के अन्तर्गत **वन मुख्यालय** के स्तर पर जो भी आयोजन हुए हैं और अधोहस्ताक्षरी **वन मुख्यालय** से बाहर भी जिन–जिन विभागीय आयोजनों में गये हैं, उनमें यह ध्यान रखा गया है कि खान–पान की व्यवस्था किये जाने की स्थिति में पशु–पक्षियों के मांस को न परोसा जाये।

अतः **वन विभाग** के दायित्वों की प्रकृति और वनाधिकारियों से अपेक्षा के क्रम में यह निर्देश दिये जाते हैं कि **वन विभाग** के **कार्यक्रमों** में, खान–पान की व्यवस्था के अन्तर्गत **पशु, पक्षियों व मछलियों का मांस को किसी भी रूप में कदापि नहीं परोसा जायेगा!!**

कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये!

27/x/2020
(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड।

संख्या P0/395 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, उत्तराखण्ड।
6. विभागीय 'वैबसाईट'।

27/x/2020
(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड।